प्राक्कथन

राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं:

भाग–एक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के विभागों की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा जल संसाधन विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्षों के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

भाग–दो छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अंतर्गत राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत की जाती है। सीएजी द्वारा सरकारी कम्पनी या निगम के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन सरकार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष रखने हेतु प्रस्तुत किये जाते है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत दी गई व्यवस्थाओं के तहत निर्धारित की जाती है, जिनके माध्यम से निगमों की स्थापना की गई थी।

इस प्रतिवेदन में दी गई जानकारियों का आधार है, पीएसयूज के लेखापरीक्षित/प्रावधिक लेखें तथा उन वर्षों से संबंधित प्रस्तुत की गई जानकारियाँ है जिनके लेखे बकाया थे। पीएसयूज के लेखों के अंतिमीकरण/पुनरीक्षण का प्रभाव, यदि कोई हो, भविष्य के प्रतिवेदनों में परिलक्षित होगा।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2017–19 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही साथ गत वर्षों के ऐसे मामले जो ध्यान में तो आये थे परंतु पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। 2017–19 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जहाँ आवश्यक रहा हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।